राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/10 ई जयपुर दिनांक : 19.02.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/10, दिनांक 31 मार्च, 1997 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–
''सारणी'' के पश्चात् और ''स्पष्टीकरण'' के पूर्व –

(i) विद्यमान परन्तुक (1), (2) और (3) को क्रमशः परन्तुक (2), (3) और (4) के रुप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा ;

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान परन्तुक (2) के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक (1) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(1) अस्थाई अनुज्ञापत्र पर चलने वाले यात्री यानों के मामले में, ऊपर विर्निदिष्ट दरो पर एक दिन के लिए कर का संदाय कर दिए जाने पर, ऐसे कर के संदाय से तीन दिन तक कोई और कर संदत्त नहीं किया जाना है''

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव